राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2570 / 2024

राजीव लोचन शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 18.02.2022 से 28.06.2022 की अवधि के दौरान एपीओ किये जाने पर उन्होंने अपनी उपस्थिति अति.रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर खण्ड, भरतपुर में दर्ज करायी। अपीलार्थी को इस अवधि के दौरान वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से यह प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी उक्त अवधि दिनांक 18.02.2022 से 28.06.2022 के दौरान एपीओ रहा था, अतः इस अवधि का वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश दिये जावें।
3. अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त सीमित प्रार्थना पर इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि संयुक्त निदेशक, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान अपीलार्थी के एपीओ की अवधि के दौरान वेतन भुगतान के सम्बन्ध में अपने स्तर पर जांच करें एवं जांच पश्चात वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करें। इस आदेश की पालना दो माह में सुनिश्चित की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)